क्रम संख्या–13 (क) पंजीकरण संख्या–यू०ए० / डी०ओ० / डी०डी०एन० / 30 / 2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

देहरादून, शुक्रवार, 31 जनवरी, 2020 ई०
माघ 11, 1941 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1

संख्या 137 / VII-A-1 / 2020 / 90ख / 16
देहरादून, 31 जनवरी, 2020

प० आ०–01

उत्तराखण्ड रिवर ट्रेनिंग नीति, 2020

राज्यपाल, राज्य के नदी तल क्षेत्रान्तर्गत ऐसे स्थल जो चुगान हेतु चिन्हित नहीं है तथा जहां वर्षा ऋतु के उपरान्त अत्यधिक मात्रा में आर०बी०एम० जमा होने से नदी के तट कटाव एवं जान–माल एवं आबादी को क्षति होने की सम्भावना रहती है, से आर०बी०एम० को हटाये / निस्तारित किये जाने हेतु तथा इस विषय पर विद्यमान समस्त नीतियों, शासनादेश व आदेशों का अधिक्रमण करते हुए नदी / जलाशय / नहरों के द्वारा अत्यधिक मात्रा में निक्षेपित / जमा किये गये सिल्ट / उपखनिज आर०बी०एम०, जिससे भू–कटाव एवं जान–माल का खतरा होने की संभावना है, से सिल्ट / उपखनिज आर०बी०एम० हटाये / निस्तारित किये जाने हेतु उत्तराखण्ड रिवर ट्रेनिंग नीति, 2020 प्रख्यापित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1. (1) इस नीति का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड रिवर ट्रेनिंग नीति, 2020 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

परिभाषाएं 2.(1) इस नीति में जब तक इस सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो–

(क) ''राज्यपाल'' से उत्तराखण्ड का राज्यपाल अभिप्रेत है;

(ख) ''सरकार'' से उत्तराखण्ड राज्य सरकार अभिप्रेत है;

(ग) ''आयुक्त'' से किसी मण्डल के राजस्व प्रशासन का मुख्य भारसाधक अधिकारी अभिप्रेत है;

(घ) ''कलेक्टर'' से किसी जिले के राजस्व प्रशासन का मुख्य भारसाधक अधिकारी/अध्यक्ष जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(ड) "निदेशक'' से निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड अभिप्रेत है;

(च) "निदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी'' से जिला स्तर पर तैनात सहायक भूवैज्ञानिक/खान अधिकारी, उप निदेशक/भूवैज्ञानिक, उप निदेशक/ज्येष्ठ खान अधिकारी अभिप्रेत है;

(छ) ''स्थानीय अधिकारी'' से नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम और जिला बोर्ड का निकाय या अन्य प्राधिकारी जो क्रमशः नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम और जिला पंचायत के नियंत्रण या प्रबन्ध का सरकार द्वारा न्यस्त कार्य करता है, अभिप्रेत है;

(ज) ''व्यक्ति'' के अन्तर्गत कोई कम्पनी या संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं सम्मिलित है;

(झ) ''रिवर ट्रेनिंग'' से नदी के जल प्रवाह को यथा सम्भव प्राकृतिक रूप में नदी/जलाशय/नहर के मध्य में केन्द्रित करने सम्बन्धी कार्य अभिप्रेत है;

(ट) "सिल्ट/उपखनिज आर0बी0एम0 निस्तारण" से नदी के जल प्रवाह को नदी के मध्य में केन्द्रित करने हेतु नदी द्वारा नदी/जलाशय/नहर में निक्षेपित सिल्ट/उपखनिज की सफाई/हटाना अभिप्रेत है;

(2) "शब्द और पद" जो परिभाषित नहीं है परन्तु साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 में परिभाषित है, के वही अर्थ होंगे जो उनके लिए उक्त अधिनियम में दिये गये है;

रिवर ट्रेनिंग क्षेत्रों का चिन्हीकरण, सत्यापन एवं मूल्यांकन 3. ऐसे क्षेत्र जहां नदी/जलाशय/नहर के द्वारा सिल्ट/उपखनिज आर०बी०एम० अत्यधिक मात्रा में निक्षेपित/जमा किया गया है तथा जिसके जमा होने से भू–कटाव एवं जान–माल का खतरा होने की सम्भावना है, का चिन्हीकरण, स्थल का सत्यापन व जमा सिल्ट/आर०बी०एम० की मात्रा का आंकलन किये जाने हेतु जिलाधिकारी द्वारा सम्बन्धित क्षेत्र के उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता मे निम्नानुसार समिति गठित की जायेगीः–

(क) उपजिलाधिकारी	–	अध्यक्ष
(ख) प्रभागीय वनाधिकारी के प्रतिनिधि	–	सदस्य
(ग) सिंचाई विभाग के सहायक अभियन्ता	–	सदस्य
(घ) भू–वैज्ञानिक/खान अधिकारी	–	सदस्य

(ड़) अन्य विभाग, जो आवश्यक समझा जाय।

चिन्हित स्थलों में जमा मलवा/आर०बी०एम०/सिल्ट हटाये जाने की प्रक्रिया 4. समिति द्वारा चिन्हित क्षेत्रों में निक्षेपित/जमा मलवा/सिल्ट आदि जो उपखनिज आर०बी०एम० प्रकृति का है तथा जिसका उपयोग विभिन्न कार्यों में किया जा सकता है, चिन्हित क्षेत्रों से मलवा उठाने/सफाई करने हेतु जनपद/तहसील स्तर से इच्छुक व्यक्तियों/संस्थाओं से आवेदन प्राप्त करने हेतु विज्ञप्ति जारी की जायेगी।

मलवे को उठाने/सफाई के लिये खुली नीलामी (Open Auction) में प्रतिभाग करने हेतु आवेदक के पास निम्न अभिलेख होने अनिवार्य हैं :–

1. मूल निवास प्रमाण पत्र।
2. अद्यतन खनन अदेयता प्रमाण पत्र (जिला खान अधिकारी द्वारा निर्गत)
3. जी०एस०टी० नं०।
4. ब्लैक लिस्ट में न होने सम्बन्धी शपथ पत्र।
5. मूल्यांकित रॉयल्टी के 25 प्रतिशत का बैंक ड्राफ्ट।

रिवर ट्रेनिंग हेतु अनुज्ञा की स्वीकृति एवं आर०बी०एम०/ सिल्ट निस्तारित किये जाने हेतु अनुज्ञा अवधि

5. उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति की संस्तुति के उपरान्त आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 में प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत समस्त जिलाधिकारी द्वारा सिल्ट/उपखनिज आर०बी०एम० निस्तारित किये जाने हेतु अल्प अवधि का अनुज्ञा यथा प्रक्रिया स्वीकृत किया जायेगा। आर०बी०एम०/सिल्ट के निस्तारण/उठान किये जाने की अनुज्ञा अधिकतम 04 माह अथवा मलवे/उपखनिज/सिल्ट की अनुज्ञात मात्रा हटाने की अवधि, जो भी पूर्व घटित हो, के लिए स्वीकृत की जायेगी।

आर०बी०एम० निस्तारित किये जाने हेतु अनुमत गहराई

6. उपखनिज आर०बी०एम० को हटाने/निस्तारित किये जाने हेतु नदी के जल स्तर तक अनुमति दी जायेगी।

आर०बी०एम०/ सिल्ट निस्तारित किये जाने की विधि एवं पद्धति

7. सिल्ट/उपखनिज आर०बी०एम० का निस्तारण सफाई के कार्य हेतु चिन्हित क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति, पत्थरों/बोल्डर्स के आकार की प्रकृति एवं नदी/नहर के चैनेलाईजेशन को वास्तविक रूप देने तथा आपदा के दृष्टिगत त्वरित गति से कार्य के निस्तारण के उद्देश्य से नदी/नहर के दोनों किनारों से एक चौथाई भाग छोड़ते हुए गठित समिति की संस्तुति पर अपस्ट्रीम में 100 मीटर (यदि आवश्यक न हो तो पुल की सुरक्षा के दृष्टिगत) के आधार पर आवश्यकतानुसार मशीनों यथा जे०सी०बी०, पोकलैण्ड आदि का उपयोग अनुमन्य होगा।

मलवा/ आर०बी०एम०/ सिल्ट का निस्तारण

8. (1) सिल्ट/आर०बी०एम० का निस्तारण उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 (समय–समय पर यथासंशोधित) व सुसंगत विधिक प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा तथा हटाये गये सिल्ट/आर०बी०एम० पर रॉयल्टी के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित शुल्क/टैक्स लिया जायेगा। (सिल्ट/आर०बी०एम० निस्तारण हेतु रायल्टी के अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क, जिला खनिज फाउन्डेशन में अंशदान तथा क्षतिपूर्ति हेतु निर्धारित शुल्क अनिवार्य रूप से देय होगा।

विविध

9. (1) ऐसे चिन्हित क्षेत्र, जो ई–निविदा सह ई–नीलामी प्रक्रिया के अन्तर्गत आशय पत्र धारित क्षेत्रों को छोड़कर जहां प्रति वर्ष सिल्ट/उपखनिज निक्षेपित/जमा होने से आबादी व कृषि भूमि प्रभावित हो रही हो, को चिन्हित कर सिल्ट/उपखनिज की सफाई उक्त प्रक्रिया के अन्तर्गत की जायेगी।

(2) रिवर ट्रेनिंग कार्य हेतु ऐसे चिन्हित क्षेत्र जहां बिन्दु सं० 4 के अन्तर्गत खुली नीलामी की कार्यवाही किये जाने के उपरान्त उपखनिज को उठाने/सफाई में रूचि न ली गयी हो तो ऐसे चिन्हित क्षेत्रों को राष्ट्रीय महत्व की केन्द्र/राज्य सरकार की परियोजनाओं के लिए सम्बन्धित एजेन्सी द्वारा आवेदन करने पर गठित समिति की आख्या के आधार पर एवं सभी देयकों का भुगतान किये जाने के उपरान्त जिलाधिकारी के द्वारा सिल्ट/आर0बी0एम0 निस्तारण/उठान किये जाने की अनुज्ञा इस शर्त के साथ प्रदान की जायेगी कि वे निकाले गये सिल्ट/आर०बी०एम० का व्यावसायिक उपयोग नही करेंगे।

2– यह आदेश वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या–800/XVII(2)/2018, दिनांक 20 जनवरी, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत जा रहा है।

आज्ञा से,

ओम प्रकाश,
अपर मुख्य सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 01 औ0वि0/74–2020–100+200 (कम्प्यूटर/रीजियो)।